

**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance**  
**आर्थिक कार्य विभाग / Department of Economic Affairs**  
**वित्तीय स्थिरता प्रभाग / Financial Stability Division**

**प्रेस प्रकाशनी / PRESS RELEASE**

**भारत: वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम, 2024**  
**India: Financial Sector Assessment Program, 2024**

उक्त वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी), जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) का एक संयुक्त कार्यक्रम है, देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण करता है। सितंबर 2010 से यह कार्य प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों से युक्त अधिकार-क्षेत्रों के लिए अनिवार्य (मैंडेटरी) बन गया है। वर्तमान में यह भारत सहित, 32 अधिकार-क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है जो प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार, तथा अन्य 15 अधिकार-क्षेत्रों के लिए प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार संचालित किया जाना चाहिए। व्यवहार के अनुसार, उक्त एफएसएपी के समापन भाग के रूप में, आईएमएफ वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन (एफएसएसए) रिपोर्ट को प्रकट करता है तथा विश्व बैंक वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन (एफएसए) रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। भारत के लिए पिछला एफएसएपी 2017 में संचालित किया गया था। एफएसएसए रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा दिसंबर 2017 में प्रकाशित की गई थी तथा एफएसए रिपोर्ट भी विश्व बैंक द्वारा दिसंबर 2017 में प्रकाशित की गई थी।

2. 2024 में संचालित किये गये मूल्यांकन के आधार पर विश्व बैंक ने भारत-एफएसए रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर 30 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित की है। आईएमएफ ने भारत-एफएसएसए रिपोर्ट का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर पहले ही 28 फरवरी, 2025 को कर दिया है।
3. भारत संयुक्त आईएमएफ-विश्व बैंक टीम के द्वारा किये गये वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन का स्वागत करता है।
4. विश्व बैंक की एफएसए रिपोर्ट विशिष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत की वित्तीय प्रणाली 2017 में पिछले एफएसएपी के बाद अधिक आघात-सहनीय, विविधीकृत, और समावेशी बन गई है। यह रिपोर्ट स्वीकार करती है कि वित्तीय क्षेत्र सुधारों ने 2010 के बाद के दशक के अनेक आपदा प्रसंगों एवं महामारी से भी पुनरुत्थान करने में भारत की सहायता की है। यह इस बात पर बल देती है कि 2047 तक यूएसडी 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत की परिवर्द्धिको साकार करने के लिए निजी पूँजी संग्रहण को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय क्षेत्र सुधारों को आगे और अधिक प्रोत्साहन अपेक्षित है।
5. बैंकों और एनबीएफसीएस के विनियमन और पर्यवेक्षण के संबंध में विश्व बैंक ने भारत के द्वारा सहकारी बैंकों पर विनियामक प्राधिकार के विस्तार, मुख्य विवेकपूर्ण नियमों को कठोर बनाने, तथा प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी विभागों के पुनर्गठन के प्रयासों को स्वीकार किया है। विश्व बैंक ने एनबीएफसीएस के लिए मान-आधारित विनियमन का स्वागत किया है जो इस विविधतापूर्ण उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करता है। विश्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसीएस के बेहतर पर्यवेक्षण के लिए ऋण जोखिम प्रबंध ढाँचे को आगे और मजबूत करने की सिफारिश की है।

6. विश्व बैंक स्वीकार करता है कि निवेशकों के लिए संपार्श्विक प्रबंध में वृद्धि और व्यवसाय की निरंतरता, धारणीय निवेशों, म्युचुअल फंड चलनिधि अपेक्षाओं, तथा कारपोरेट कर्ज बाजार विकास निधि (सीडीएमडीएफ) के लिए रूपरेखा सहित, सुधारों के द्वारा समर्थित रूप में प्रतिभूति बाजारों में निगरानी सुदृढ़ रही है। विश्व बैंक ने संचालन जोखिमों (विशेष रूप से म्युचुअल फंडों) की निगरानी करने और स्व-विनियामक संस्थाओं के मानकों को मजबूत करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण का विकास करने के द्वारा बेहतर निगरानी के लिए आगे का मार्ग निर्दिष्ट किया है।

7. विश्व बैंक ने स्वीकार किया है कि भारत के विश्व-स्तरीय डिजिटल अवसंरचना और सरकारी कार्यक्रमों ने दोनों पुरुषों और महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं के एक अधिक व्यापक दायरे तक पहुँच को उल्लेखनीय रूप में सुधारा है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए खातों के उपयोग को और बढ़ाने, तथा व्यक्तियों और एमएसएमईएस के लिए वित्तीय उत्पादों के एक अधिक व्यापक दायरे तक पहुँच को सुसाध्य बनाने के लिए सुझाव दिये गये हैं।

8. उक्त एफएसए रिपोर्ट स्वीकार करती है कि भारत के बीमा क्षेत्र का विकास इसके समकक्षों के अनुरूप है। विश्व बैंक के क्रमिक मूल्यांकन ने बीमा के मुख्य सिद्धांतों (आईसीपीएस) के समग्र सुदृढ़ स्तर के पालन को पाया है जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और एक आघात-सहनीय बीमा क्षेत्र को प्रतिबिंबित करता है। यह रिपोर्ट लाइसेंसीकरण, उपयुक्तता की अपेक्षाओं, प्रवर्तन की शक्तियों, और सार्वजनिक प्रकटीकरण का उल्लेख शक्ति के क्षेत्रों के रूप में करती है।

9. मौसम जोखिम के विश्लेषण के अंतर्गत, विश्व बैंक ने यह विशिष्ट रूप से उल्लेख किया है कि कृषि और बैंकिंग क्षेत्र अल्पकालिक मौसमी आघातों के प्रति आघात-सहनीय रहे हैं, तथापि कणीय (ग्रैनुलर) डेटा और अनुकूली उपायों की आवश्यकता है, क्योंकि स्थानीयकृत जोखिम, दीर्घकृत कृषि संबंधी आघात, और एक कठिन निम्न-कार्बन परिवर्तन अब भी वित्तीय दबाव उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने सिफारिश की कि एक धारणीय वित्त रूपरेखा और एक राष्ट्रीय मौसम वित्त टैक्सोनामी के विकास सहित मौसम-संबंधी निवेश का प्रवर्धन किया जाए। इससे देशी निवेशकों को सहायता मिल सकती है।

10. विश्व बैंक ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भारतीय प्राधिकरणों ने दिवालियापन (इनसालवेन्सी और बैंक्रेट्सी) कोड 2016 (आईबीसी) के कार्यान्वयन और सशक्तीकरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये न्यायालय के बाहर (आउट-आफ-कोर्ट) के उपाय सहित, ऋण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए संघटित प्रयास किये हैं। उसने ध्यान दिया है कि एमएसएमई क्षेत्र को दिये जानेवाले वित्त में वृद्धि हो रही है, जो आरबीआई-द्वारा विनियमित फैक्टरिंग प्लेटफार्म (टीआरईडीएस) और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) ढाँचे के अंतर्गत विकासरत फैक्टरिंग प्रणाली के द्वारा समर्थित है। एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में आगे और वृद्धि करने के लिए, विश्व बैंक ने एक एमएसएमई डेटा प्रेक्षणशाला (अब्जर्वेटरी) स्थापित करने के साथ, माँग की ओर के डेटा सहित, व्यापक एमएसएमई ऋण डेटा की निगरानी और प्रकाशन करने की सिफारिश की है।

11. भारत के पूँजी बाजारों के लिए, विश्व बैंक ने टिप्पणी की है कि पूँजी बाजारों (ईक्टिटी, सरकारी बांड और कारपोरेट बांड) ने पिछले एफएसएपी के बाद 144 प्रतिशत से जीडीपी के लगभग 175 प्रतिशत तक वृद्धि की है। ये अभिलाभ एक सुदृढ़ पूँजी बाजार अवसंरचना और विविधतापूर्ण निवेशक आधार के द्वारा समर्थित रहे हैं। उक्त रिपोर्ट, पूँजी का आगे और संग्रहण करने के लिए ऋण वृद्धि व्यवस्थाओं, जोखिम साझेदारी सुविधाओं, और प्रतिभूतीकरण प्लेटफार्मों का विकास करने का सुझाव देती है।

12. भारत एफएसएपी के विषय में उक्त सिफारिशें मुख्य रूप से वित्तीय प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली में और सुधार करने पर संकेन्द्रित हैं। कई विस्तृत सिफारिशें संबंधित प्राधिकारियों / विनियमनकर्ताओं की स्वयं की विकास योजनाओं के अनुरूप हैं। भारत एक उपयुक्त तरीके से अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अंगीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, जो जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ देशी आवश्यकताओं और आर्थिक स्थितियों के लिए अनुकूल हैं।

विश्व बैंक द्वारा जारी किये गये उक्त एफएसए तक निम्नलिखित पर पहुँच प्राप्त की जा सकती है:  
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/099103025110514063>

The Financial Sector Assessment Program (FSAP), a joint program of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB), undertakes a comprehensive and in-depth analysis of a country's financial sector. Since September 2010 the exercise has become mandatory for jurisdictions with systemically important financial sectors. Currently, it is mandatory for 32 jurisdictions, including India, to be conducted every five years, and for another 15 jurisdictions every ten years. As per the practice, as a concluding part of the FSAP, the IMF comes out with Financial System Stability Assessment (FSSA) report and the World Bank brings out the Financial Sector Assessment (FSA) report. Last FSAP for India was conducted in 2017. The FSSA report was published by IMF in December 2017 and the FSA report was published by World Bank in December, 2017.

2. Based on the assessment carried out during 2024, the World Bank has released the India-FSA report on their website on October 30, 2025. IMF had already released the India-FSSA report on their website on February 28, 2025.

3. India welcomes assessment of the financial sector undertaken by the joint IMF-World Bank team.

4. WB's FSA report highlights that India's financial system has become more resilient, diversified, and inclusive since the last FSAP in 2017. The report acknowledges that financial sector reforms helped India recover from various distress episodes of 2010s as well as the pandemic. It stresses that achieving India's vision to become a USD 30 trillion economy by 2047 requires further impetus to the financial sector reforms to boost private capital mobilization.

5. On regulation and supervision of banks and NBFCs, WB acknowledged India's expansion of regulatory authority on cooperative banks, tightening of key prudential rules, and reorganization of regulatory and supervisory departments to enhance effectiveness. WB welcomed the scale-based regulation for NBFCs which recognises the different needs of this diverse industry. WB has recommended further-strengthening of the credit risk management framework for better supervision of banks and NBFCs.

6. WB acknowledges that oversight in securities markets has been sound, backed by reforms, including enhancing collateral management and business continuity for investors, framework for sustainable investments, mutual fund liquidity requirements, and the Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF). WB has indicated a way forward for better oversight through development of integrated approach to monitoring conduct risks (especially for mutual funds) and strengthening standards of self-regulatory organizations.

7. WB acknowledged that India's world class Digital Public Infrastructure and government programs have significantly improved access to a wider range of financial services for both men and women. Suggestions have been made for further boosting account usage especially for women, and to facilitate access to wider range of financial products for individuals and MSMEs.

8. The FSA report acknowledges that India's insurance sector development has been in line with the peers. WB's graded assessment found an overall sound level of observance of Insurance Core Principles (ICPs) reflecting India's commitment to global best practices and a resilient insurance sector. The report mentions licensing, suitability requirements, enforcement powers, and public disclosure as areas of strength.

9. Under Climate Risk analysis, WB highlighted that agriculture and banking sector remain resilient to short-term climate shocks, however granular data and adaptive measures are needed, as localized risks, prolonged agricultural shocks, and a difficult low-carbon transition could still put financial strain. They recommended that scaling up of climate-related investment including the development of a Sustainable Finance Roadmap and a national Climate Finance taxonomy. This may help domestic investors.

10. WB noted that the Indian authorities have made a concerted efforts to strengthen the credit infrastructure, including implementing and strengthening the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (IBC) and an out-of-court workout framework issued by RBI. It noted that finance to the MSME sector has been growing, backed by the developing factoring system under the RBI-regulated factoring platform (TReDS) and Priority Sector Lending (PSL) framework. To further enhance credit to the MSME sector, WB has recommended to monitor and publish comprehensive MSME credit data, including demand side data along with establishing a MSME data observatory.

11. For India's capital markets, WB has noted that the Capital markets (equity, government bonds and corporate bonds) have increased from 144 percent to about 175 percent of GDP since the last FSAP. These gains have been supported by a robust capital market infrastructure and diverse investor base. The report suggests developing credit enhancement mechanisms, risk sharing facilities, and securitization platforms to further mobilize capital.

12. The recommendations in case of India FSAP are mainly focused on carrying out further improvements in the structure and functioning of the financial system. Many of the detailed recommendations are in conformity with the concerned authorities'/regulators' own developmental plans. India remains committed to adoption of internationally accepted standards and best practices in a suitable manner, attuned to domestic needs and economic conditions, wherever necessary.

The FSA released by WB can be accessed at

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/099103025110514063>

\*\*\*\*\*